न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–01 / 2024

अपीलाण्ट बनाम उतरदातागण

अपीलाण्ट	उतरदातागण
1. जीयों पुत्री सुखाराम पत्नि गुसाईराम जाति मेघवाल निवासी होडू हाल निवासी लोहारवा तहसील धोरीमन्ना	1. सरपंच, ग्राम पंचायत–होडू 2. उमाराम पुत्र पूनमाराम 3. घमाराम पुत्र पूनमाराम 4. टीकूराम पुत्र पूनमाराम 5. सोनीदेवी पत्नि पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी होडू तहसील सिणधरी 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. **श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता रेस्पोडंट**
2. **प्रतिवदी सं. 4 एवं पैरोकार सरकार उपस्थित।**
3. **शेष उतरदातागण एकतरफा।**

आदेश

दिनांक–03.06.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा–होडू के खसरा संख्या 278 पटवार मंडल–होडू तहसील सिणधरी में आयी हुई है, जो भूमि अपीलांट एवं उतरदाता सं 4 मुतवफी पूनमाराम पुत्र ताजाराम के खातेदारी की थी। कि अपीलान्ट के पिता सुखाराम की फौतगी अपीलान्ट के दादा पूनमाराम की फौतगी से पहले ही गयी थी तथा अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

दादा पूनमाराम का स्वर्गवास 12.01.2022 में हो गया था, पूनमाराम के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 1379 दिनांक 04.04.2023 को भरा गया, जिसे उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.07.2023 को स्वीकृत किया गया था, जो उतरदातागण संख्या 2 से 5 ने उत्तरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतक पूनमाराम के वारिस मात्र उत्तरदाता संख्या 2 से 5 को बताकर नामान्तरकरण उत्तरदाता संख्या 2 से 5 ने अकेले अपने नाम से पारित करवा लिया जबकि मृतक पूनमाराम अपीलान्ट का दादा एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 4 का पिता तथा उतरदाता संख्या 5 का पति था. अपीलान्ट का पिता सुखाराम उतरदाता संख्या 2 से 4 का सगा भाई एवं उतरदाता संख्या 5 का पुत्र था, अपीलान्ट के पिता की फौतगी उनके पिता (अपीलान्ट के दादा) पूनमाराम के जीवनकाल में ही हो गई थी, जिसकी एक मात्र अपीलान्ट पुत्री सन्तान है, इसके सिवाय अपीलान्ट के पिता के कोई पुत्र/पुत्री अथवा वैध वारिस नहीं था, अपीलान्ट का इस नामान्तरकरण (म्यूटेशन) में पूनमाराम के विधिक उतराधिकारी होने के बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया। अतः अपीलांट ने ग्राम होडू के ना.क.सं. 1379 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत होडू के आदेश दिनांक 05.07.2023 को निरस्त करवाते हुए अपने एवं रेस्पो. सं. 2 से 5 के नाम बहिस्सा बराबर ना.क. पारित करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलाण्ट की अपील के संबध में उतरदातागण की तलबी की गई। उतरदातागण सं. 1 से 3 व 5 को जारी सम्मन बाद तामिल होने के उपरांत भी सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एतकरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उतरदाता सं. 4 स्वयं द्वारा उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित सभी तथ्य सही व सत्य तथा विधि अनुरूप होने से स्वीकार है, अपीलान्ट तथा उतरदाता संख्या 02 से 05 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि ग्राम होडू पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा में खसरा संख्या 278 रकबा 8.8019 हैक्टेयर की भूमि आई है जो भूमि अपीलान्ट [illegible] 05 के मुतवफी पुनमाराम के पिता ताजाराम के नाम [illegible] सेटलमेन्ट खातेदारी में दर्ज हुई। कि [illegible] भूमि ताजाराम के दोनो पुत्रो अपीलान्ट के दादा पुनमाराम तथा पु[illegible]राम के बड़े भाई जोधाराम के नाम बराबर–बराबर हिस्से में दर्ज हुई तथा बाद में विभाजन करने पर पुनमाराम "

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

के नाम अपना आधा हिस्सा खसरा संख्या 278 रकबा 8.8019 हैक्टेयर भूमि बंट में प्राप्त होकर पुनमाराम के नाम दर्ज हुई. पुनमाराम का स्वर्गवास दिनांक 12.01.2022 को हुआ था। पुनमाराम के जायिन्दा चार पुत्र उमाराम, घमाराम, टीकूराम, स्व. सुखाराम थे तथा पत्नी का नाम सोनी देवी है चारो पुत्रों में से सुखाराम की मृत्यु अपने पिता पुनमाराम के जीवन काल में ही हो गई थी, सुखाराम के एक मात्र सन्तान अपीलान्ट जीयो है तथा इनका विवाह लोहारवा तहसील धोरीमना निवासी गुसाईराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल के साथ हो रखा है। अपील में वर्णित वंश वृक्ष सही व सत्य है। कि अपीलान्ट के पिता सुखाराम की मृत्यु अपीलान्ट के दादा पुनमाराम की फौतगी से पूर्व हो गई थी, इसलिए अपीलान्ट के पिता सुखाराम का नाम उनके जीवन काल में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ था अपीलान्ट के दादा पुनमाराम के नाम खातेदारी चली आ रही थी। तथा पुनमाराम के स्वर्गवास दिनांक 12.01.2022 को हो जाने के बाद उनके नाम दर्ज भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1379 दिनांक 04.04.2023 को भर तथा ग्राम पंचायत होडू द्वारा दिनांक 05.07.2023 को पारित किया गया। जिसमें उत्तरदाता संख्या 03 घमाराम ने फर्जी तथा झूठा शपथ पत्र पेश कर उनके विधिक वारिशों की सही जानकारी नहीं देकर अपीलान्ट जीयो का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नही करवाया। जबकि अपीलान्ट पुनमाराम के जायिन्दा पुत्र स्व. सुखाराम की एक मात्र सन्तान एवं विविध वारिश है तथा नियमानुसार पैतृक खातेदारी भूमि में 1/5 हिस्सा अपीलान्ट का खातेदारी का है। उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य तथा निष्प्रभावी है अपीलान्ट जीयो को उक्त नामान्तरकरण की शेष उत्तरदातागण ने जानकारी नहीं होने दी तथा अपीलान्ट ने यह समझा कि मृत्यक पुनमाराम की वैध वारिश होने से उनका नाम दर्ज हो गया होगा लेकिन ऋण लेने के लिए अपीलान्ट ने रिकॉर्ड लिया तो उनका नाम नहीं होने जानकारी हुई। उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण की जानकारी मुझे भी नहीं होने दी। अपीलान्ट ने वास्तविक एवं सत्य कथन पेश कर यह अपील पेश की है जो स्व. पुनमाराम की वैध वारिश अर्थात उनकी सगी पौत्री (पुनमाराम के जायिन्दा पुत्र स्व. सुखाराम की पुत्री) होने से उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है, तथा उत्तरदाता ... की मृत्यु उपरान्त सम्पूर्ण भूमि में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा है क्योंकि स्व. पुनमाराम के जायिन्दा चार पुत्र ही विधिक वारिश है उनके अलावा स्व. पुनमाराम के कोई पुत्र अथवा पुत्री सन्तान नहीं है। इस प्रकार उत्तरदाता संख्या 03 घमाराम ने शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

उतरदातागण से मिलीभगत कर स्व. पुनमाराम के वारिशो की जांच किया बिना विधि विरूद्ध तरीके से वैध उतराधिकारी अपीलान्ट जीयो को वंचित रखा तथा एक तरफा कार्यवाही करते हुए गोपनीय तरीके से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1379 पारित करवाया जो निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 8.8019 हैक्टे. ग्राम होडू तहसील सिणधरी की संयुक्त खातेदारी भूमि में अपीलान्ट तथा उतरदाता संख्या 02 से 05 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज करने एवं इसी अनुसार अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 05 के नाम पारित किया जाना का आदेश प्रदान करावें इस बावत् मुझे कोई ऐतराज आपति नहीं है मौके पर भी अपीलान्ट का अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

हमनें उभयपक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व नामान्तकरण संख्या 1379 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि अपीलान्ट के पिता सुखाराम की फौतगी अपीलान्ट के दादा पूनमाराम की फौतगी से पूर्व हो गयी थी तथा अपीलान्ट के दादा पूनमाराम का स्वर्गवास 12.01.2022 में हो गया था, पूनमाराम के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 1379 दिनांक 04.04.2023 को भरा गया, जिसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.07.2023 को स्वीकृत किया गया था, जो उत्तरदातागण संख्या 2 से 5 ने उत्तरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतक पूनमाराम के वारिस मात्र उत्तरदाता संख्या 2 से 5 को बताकर नामान्तरकरण उत्तरदाता संख्या 2 से 5 ने अकेले अपने नाम से पारित करवा लिया जबकि मृतक पूनमाराम अपीलन्ट का दादा एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 4 का पिता तथा उत्तरदाता संख्या 5 का पति था. अपीलान्ट का पिता सुखाराम उत्तरदाता संख्या 2 से 4 का सगा भाई एवं उत्तरदाता संख्या 5 का पुत्र था, अपीलान्ट के पिता की फौतगी उनके पिता (अपीलान्ट के दादा) पूनमाराम के जीवनकाल में ही हो गई थी, जिसकी एक मात्र अपीलान्ट पुत्री सन्तान है, इसके सिवाय अपीलान्ट के पिता के कोई पुत्र/पुत्री अथवा वैध वारिस नहीं था, अपीलान्ट का इस नामान्तरकरण (म्यूटेशन) में पूनमाराम के विधिक उतराधिकारी होने के बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया। अतः अपीलांट ने ग्राम होडू के ना.क [illegible] पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत होडू के आदेश दिनांक 05.07.2023 को [illegible] करवाते हुए अपने एवं रेस्पो. सं. 2 से 5 के नाम [illegible] हेतु यह अपील प्रस्तुत की है। इससे यह स्पष्ट है कि मुतवफी पूनमाराम की फौतेदगी पर गोसाईराम की एक मात्र विधिक वारिसान अपरलांट के नाम ना.क.सं. में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

अमलदरामद नहीं किये जाने को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। मुतवफी पूनमाराम के विधिव वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 में समान रूप से निहित होगें। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत होडू द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम होडू तहसील सिणधरी के नामान्तरणकरण सं. 1379 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत होडू के आदेश दिनांक 05.07.2023 को अपास्त किया जाता है, और प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण 135(2) आरएलआर एक्ट में दर्ज कर मुतवफी पूनमाराम के विधिक वारिसान की जांच कर उनका विधि के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नामान्तकरण पारित करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner